न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 134/2020 जिला–सीकर।

1. सुरेश कुमार पुत्र श्री कुरडाराम जाति जाट निवासी ग्राम खुडी बडी तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज0।

अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती संतोष देवी पत्नि रामेश्वरसिंह महरिया जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 25, कस्बा लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज0।
2. ताराचन्द महला पुत्र श्री श्योबक्साराम जाति जाट निवासी ग्रमा नारायण का बास तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज0
3. रिछपाल सिंह पुत्र श्री श्योबक्साराम जाति जाट निवासी ग्रमा नारायण का बास तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज0
4. पन्नामणी पत्नि विमलकुमार जाति जैन महाजन निवासी देवीपुरा कोठी, तहसील व जिला सीकर राज0।
5. विनोद कुमार पुत्र श्री माणकचन्द जाति जैन महाजन निवासी वार्ड नम्बर 9 मोची बाडा, तहसील व जिला सीकर राज0।
6. तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज0।
7. पटवारी, पटवार हल्का खुडी बडी, तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज0।

रेस्पोंडेन्ट्स

8. गोपाल सिंह बुरडक पुत्र श्री कुरडाराम जाति जाट निवासी ग्राम खुडी बडी तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज0।
9. जीवनराम पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी खुडी बडी तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज0
10. रूपादेवी पत्नि श्री कुरडाराम जाति जाट निवासी खुडी बडी तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज0
11. केशर देवी पुत्र कुरडाराम पत्नि श्री रामदेवाराम जाति जाट निवासी ग्राम भादवासी तहसील व जिला सीकर राज0
12. भागोती देवी पत्नि रामदेवराम पत्नि शिवभगवान जाति जाट निवासी निवासी ढाका की ढाणी पोस्ट बठोड तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज0
13. रत्ती पुत्री कुरडाराम पत्नि श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम कुडली तहसील व जिला सीकर राज0
14. संतोष पुत्र कुरडाराम पत्नि श्री हरलाल सिंह जाति जाट निवासी ग्राम नरोदडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज0
15. सुमित्रा देवी पुत्री कुरडाराम पत्नि श्री पूरणमल जाति जाट निवासी ग्राम नरोदडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज0।

प्रर्फोमा रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर दिनांक 03.11.2020 अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री हरलाल सिंह।
2. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 4 श्री श्याम बाबू पारिक।
3. वकील रेस्पोडेंट संख्या 5 श्री श्रवण कुमार घोसल्या
4. रेस्पोडेंट संख्या 6 व 7 की ओर से श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 01.03.2021

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा शीर्षक अपील ताराचन्द बनाम रिछपाल में पारित निर्णय दिनांक 03.11.2020 के द्वारा अपील स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलान्टस के मय प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 02.12.2020 को पेश की गई है। प्रर्फोमा रेस्पोडेंटस संख्या 08 से 15 की तामिल उभयपक्ष की सहमति से बंद की गई।

(सेवा राम स्वामी)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

(4)

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेंटस संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के समक्ष राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम नारायण का बास पटवार हल्का खुडी बडी तहसील लक्ष्मणगढ में स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 53 जिसके नये खसरा नम्बर 38, 39, 40 रकबा 9.65 है0 तथा भूमि गत खसरा नम्बर 54 जिसका नये खसरा नम्बर 41 रकबा 0.55 है0 के प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 खातेदार काबिज काश्तकार है। उपरोक्त भूमि के अन्दर से राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर बीकानेर उत्तर से दक्षिण निकलने पर राष्ट्रीय राजमार्ग के पश्चिम में चिपते हुये पुराने खसरा नम्बर 53 नये खसरा नम्बर 38, 39, 40 व पुराना खसरा 54 जिसका नया खसरा नम्बर 41 की कुछ भूमि भाग अवस्थित रह गया तथा उक्त शेष रही उपरोक्त खसरा नम्बरो की भूमि भाग के पश्चिम सीमा से लगता ही तथा साथ-साथ चलता उत्तर दक्षिण कच्चा रास्ता अवस्थित है। जिसका पुराना खसरा नम्बर 38 व नया खसरा नम्बर 100 व 101 है। नये खसरा नम्बर 38, 39, 40, 41 की शेष रही भूमियो जिनका माप खसरा नम्बर 38, 39, 40 के उत्तर व दक्षिण तरफ 6 गठा यानी 50 फुट चौडी व बिच में 8 गठा यानी 66 फुट तथा लम्बाई पूर्वी तरफ 114 गठा यानी 940 फुट पश्चिम तरफ लम्बाई 118 गठा यानि 973 फुट कुल क्षेत्रफल 0.50 है0 तथा खसरा नम्बर 54 के उत्तर की तरफ चौडाई 6 गठा यानी 50 फुट तथा लम्बाई 40 गठा यानी 330 फुट कुल क्षैत्रफल 0.08 है0 का दर्शित करते हुय तथा इन भूमियो की पश्चिम सीमा के लगता साथ साथ चल रहा उत्तर से दक्षिण रास्ता खसरा नम्बर 100, 101, 102 को दर्शित करके संशोधित नक्शा ट्रेस बनाया जाना आवश्यक है के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया।

3. रेस्पोडेंट के उक्त प्रार्थना पत्र पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.11.2020 के द्वारा सहायक भू प्रबंध अधिकारी सीकर की रिपोट एवं मानचित्र कमांक 179 दिनांकि 23.10.2020 तथा आंशिक नक्शा ट्रेस ग्राम नारायण का बास संवत 1997 सन् 1940 खसरा नम्बर 53/1 व 53/2 तथा 54/2 व 54/2 में दर्शित अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि सीमा को छोडकर खसरा नम्बर 40 व 41 की खाली पडी भूमि को दर्शित कर नये सर्वेक्षण में बनाये नक्शा को दुरूस्त कर तदनुसार नया नक्शा बनाया जाकर दुरूस्ती किये जाने के आदेश पारित कर दिये गये।

4. न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

5. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलवी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलव किया गया।

6. उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी एवं गुणावगुण पर सुनी गई। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का निस्तारण किया जाना आवश्यक है।

7. अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति चाहे जाने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 96 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 111, 112, 113 ग्राम खुडी बडी तहसील लक्ष्मगणगढ के 91/432 हिस्सा का खातेदार तथा काबिज काश्तकार है। उक्त भूमि की सीमाये खसरा नम्बर 32 गैर मुमकिन रास्ता व खसरा नम्बर 100 राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप स्थित है तथा प्रार्थी की भूमि उपर्युक्त खसरा नम्बरो के संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से उपर्युक्त खसरा नम्बरो की भूमि के नक्शे में दुरूस्तीकरण किये जाने से अपीलांट के अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं तथा उसका रास्ता भी अवरूद्ध हो जायेगा तथा उसके खातेदारी की भूमि में भी अपीलाधीन आदेश से तरमीम कर दी जायेगी। जबकि अधीनस्थ न्यायालय का यह विधिक दायित्व बनता था कि वो समीपवर्ती भूमि के काश्तकारो को उपरोक्त प्रकरण में पक्षकार बनाता तथा उन्हे विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करते लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिससे प्रार्थी के अधिकार गंभीरं रूप से विपरीत प्रकार से प्रभावित हो रहे है। इसलिये अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे अन्यथा रेस्पोडेंटस जबरन अपीलांट की भूमि पर अपीलाधीन आदेश की आड में नक्शे को दुरूस्त करवाकर भूमि पर कब्जा कर लेंगे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपीलार्थी के कथनो का विरोध करते हुये कथन किया गया कि अपीलांट किसी भी प्रकार से अपीलाधीन आदेश से प्रभावित अथवा व्यथित पक्षकार नही है। नक्शा दुरूस्त किये जाने वाली भूमि ग्राम नारायण का बास में स्थित है तथा अपीलार्थी की

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

भूमि ग्राम खुडी बडी में स्थित है तथा विवादित भूमि एवं अपीलार्थी की खातेदारी भूमि के मध्य ग्राम खुडी बडी की भूमि खसरा नम्बर 100 गै0मु0 रास्ता स्थित है। अपीलाधीन आदेश द्वारा खसरा नम्बर 100 की भूमि के नक्शा परिवर्तन के कोई आदेश नही दिये गये है। जिससे कि अपीलार्थी के प्रभावित होने की संभावना हो, न ही अपीलार्थी की भूमि विवादित भूमि में संस्पर्शी है। अतः अपीलार्थी प्रभावित व व्यथित पक्षकार नही है तथा अपीलार्थी का कोई Locus standii नही होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी अस्वीकार किये जाने योग्य है तथा अपील इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

9. उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश द्वारा गत खसरा नम्बर 53/1 व 53/2 तथा 54/1 व 54/2 के संवत 1997 (सन् 1940) के नक्शा ट्रेस में दर्शाये अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 40 व 41 की खाली पडी भूमि को दर्शित करते हुये नक्शा दुरूस्ती के आदेश प्रदान किये गये है। उक्त भूमि ग्राम नारायण का बास में स्थित है जो ग्राम खुडी बडी की सीमा से लगती हुई है। उक्त भूमि के पश्चिम में ग्राम खुडी बडी की भूमि खसरा नम्बर 100 गै0 मु0 रास्ता स्थित है तथा उसके पश्चात प्रार्थी/अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 111, 112 व 113 स्थित है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश द्वारा नक्शा दुरूस्त किये जाने वाली भूमि प्रार्थी/अपीलांट की खातेदारी भूमि से संस्पर्शी नही है तथा न ही अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रार्थी/अपीलांट की भूमि के नक्शे को दुरूस्त करने बाबत कोई उल्लेख है। इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका रिपोर्ट जो तहसीलदार लक्ष्मणगढ की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा तैयार की गई है उसमें प्रार्थी/अपीलांट की भूमि राजस्व नक्शे में दर्शित भूमि से पूर्व से पश्चिम की उत्तरी व दक्षिणी दोनो सीमाऐ मौके पर एक मीटर अधिक ही है उसके पश्चात खसरा नम्बर 100 गै0 मु0 रास्ता की भूमि अवस्थित है। इस प्रकार प्रार्थी/अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से किसी भी तरह से व्यथित अथवा प्रभावित पक्षकार नही है तथा उसे अपील प्रस्तुत करने का कोई Locus standii प्राप्त नही है। उपर्युक्त विवेचन से प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. अस्वीकार करने योग्य है तथा प्रार्थी/अपीलांट का कोई Locus standii नही होने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

10. अतः परिणामतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.11.2020 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

11. निर्णय आज दिनांक 01.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner